निगम की बेवसाइट में अपलोड किये जाने विषयक सामग्री

1. निगम द्वारा Expression of Interest (EOI) के आधार पर विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से गेहूं एचडी0 2967 की 30,000 कु0 प्रमाणित बीज मात्रा उत्पादित करने हेतु अनुरोध आमंत्रित किये जा रहे हैं।
2. इच्छुक संस्थाओं द्वारा बीज उत्पादन आयोजित कराने हेतु अनुरोध उपलब्ध कराया जायेगा।
3. विज्ञापित सूचना के सापेक्ष विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुरोध (ई0ओ0आई0) के आधार पर बीज उत्पादन कार्यक्रम (आवश्यक अर्हता रखने वाली बीज उत्पादक संस्थायें) के माध्यम से आयोजित किया जायेगा।
4. ई0ओ0आई0 विज्ञापन जारी किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर इच्छुक बीज उत्पादक संस्थाओं से निगम द्वारा वाछित फसल/प्रजातियों के उनके द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कराये जाने की अभिरूचि समस्त विवरणों के साथ प्राप्त किया जायेगा, जोकि निम्नवत है:–
    a) Company profile.
    b) Audited Balance Sheet (Last three years).
    c) Detailed information of key personnel.
    d) Provide evidence of relevant experience.
    e) For a consortium, letter of Association signed by all members.
5. प्राप्त प्रस्तावों को प्रबन्धन द्वारा गठित समिति द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण करते हुये एवं उन्हें सूचीबद्व करते हुये पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्रक्रिया का अन्तिमीकरण एक सप्ताह में पूर्ण कर तद्नुसार सम्बन्धित को सूचित किया जायेगा।
6. बीज उत्पादक संस्थाओं के अनुरोध के सापेक्ष अर्ह बीज उत्पादक संस्था को ई0ओ0आई0 के अंतर्गत प्रस्तावित बीज उत्पादन हेतु निगम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये, निर्धारित समय–सीमा में बीज उत्पादन करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अंतर्गत प्रमाणित बीज मात्रायें आवंटित की जायेंगी। समिति की अनुशंसा के आधार पर अर्ह बीज उत्पादक संस्थाओं को प्रमाणित बीज उत्पादन आयोजित कराने हेतु सूचित किया जायेगा।
7. प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु आधारीय बीज की व्यवस्था सम्बन्धित बीज उत्पादक संस्था द्वारा स्वयं की जायेगी। इस हेतु निगम उत्पादित आधारीय बीज श्रोत को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. बीज उत्पादन कार्यक्रम से सम्बन्धित पंजीयन कार्य बीज उत्पादक संस्था द्वारा निगम के नाम पर पंजीकृत कराया जायेगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार निगम द्वारा सम्बन्धित राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को सूचित भी किया जायेगा।
9. सम्बन्धित प्रक्षेत्रों का निरीक्षण, उत्पादन, विधायन एवं पैकिंग कार्य सम्बन्धित बीज उत्पादक संस्था द्वारा कराया जायेगा।
10. निगम स्तर से आवश्यकतानुसार निगम के अधिकारी/कर्मचारी को प्रक्षेत्र निरीक्षण, अन्तःग्रहण एवं विधायन के समय कार्य की आवश्यकतानुसार सम्बन्धित स्थानों पर भेजा जायेगा।

............क्रमशः.....पृष्ठ...2

11. बीज उत्पादन कार्यक्रम के आयोजन के समय, निगम की तकनीकी समिति जिसमें बीज उत्पादन अधिकारी एवं विपणन अधिकारी सम्मिलित होंगे, द्वारा पुष्पावस्था एवं परिपक्व अवस्था के समय सम्बन्धित बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों का भ्रमण कर अपनी निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
12. उत्पादित/आपूर्ति की जाने वाली बीज मात्रा के विधायन के समय विधायन व पैकिंग कार्य हेतु आवश्यकतानुसार निगम से तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी की सम्बन्धित बीज उत्पादकों के संयत्रों पर तैनाती सुनिश्चित कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
13. पैकिंग मैटीरियल निगम द्वारा सम्बन्धित बीज उत्पादक संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा तथा सम्बन्धित बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा संसाधित पैक्ड बीज एक्स–प्लाण्ट दरों पर निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. ई0ओ0आई0 के माध्यम से क्रय किये जाने वाले गेहूं प्रमाणित बीज की दरों का निर्धारण रबी सत्र में किया जायेगा।
15. गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्बन्धित बीज उत्पादक संस्थाओं को बीज उत्पादन हेतु आदेश/पत्र जारी करते समय ही बीज निगम के गन्तव्यों/गोदामों पर पहुंचाने हेतु अन्तिम तिथि निर्धारित कर सूचित की जायेगी। तद्नुसार बीज उत्पादक संस्था द्वारा बीज एक्स–प्लाण्ट के आधार पर उत्पादित प्रमाणित बीज निगम के विभिन्न गन्तव्यों पर उपलब्ध करायी जायेगी।
16. प्रतिभूति धनराशि अनुबन्ध हस्ताक्षर करते समय कुल उत्पादित की जाने वाली मात्रा के मूल्य का 5 प्रतिशत EM/DD 'or' बैंक गारण्टी के रूप में सम्बन्धित उत्पादक संस्था द्वारा जमा की जायेगी।

*****